

न्यायालय:-शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम श्रेणी अंजड  
जिला-बडवानी (म0प्र0)

आप.प्रक.क्रमांक 298 / 2016

आर.सी.टी. नंबर 321

संस्थित दिनांक-17.06.2015

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र ठीकरी, जिला बडवानी

-अभियोगी

वि रु द्ध

बबन पिता तुकाराम धनगर,  
उम्र 28 वर्ष, निवासी कोढडा तहसील मनावर,  
जिला- धार (म0प्र0)

-अभियुक्त

राज्य तर्फे एडीपीओ

- श्री अकरम मंसूरी ।

अभियुक्त तर्फे अभिभाषक

- श्री एल.के. जैन ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 19.04.2018 को घोषित)

अभियुक्त के द्वारा दिनांक 25.03.2015 को समय दिन के 08:30 से 8:45 बजे स्थान- ठीकरी- दवाना रोड पेट्रोल पंप के पास, में वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 11 एम0एल0 4073 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर प्रभाबाई को टक्कर मार कर उसकी मृत्यु ऐसी कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2015 को गणगौर माता के कार्यक्रम में कपालिया खेडी जा रहे थे कि, दवाना-ठीकरी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाईकिल खराब होने से मृतिका प्रभाबाई व राजेन्द्रसिंह रोड किनारे खड़े थे कि, वाहन मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 को चालक मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया व प्रभाबाई को टक्कर मार दी। जिससे प्रभाबाई को गंभीर चोट आयी, व इंदौर से बडौदा ले जाते समय धरमपुरी के पास उसकी मृत्यु हो गयी। थाना धरमपुरी पर मार्ग- क्रं0 09/15 कायम किया गया। वहां से सूचना प्राप्त होने पर थाना ठीकरी पर मार्ग क्रं0 20/15 कायम किया गया। जांच में वाहन मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 के चालक के विरुद्ध अपराध धारएम0पी0 11 एम0एल0 4073A 304-ए भा.द.सं. का पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। अभियुक्त पर अपराध क्रं0 74/2015 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. का अपराध मोटरसाईकिल क्रमांक एम0पी0 11 एम0एल0 4073 के चालक द्वारा पाया जाने से प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। नक्शा मौका बनाया गया। मार्ग जांच की गयी। पी0एम0 रिपोर्ट बनायी गयी। जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41 क का सचूना पत्र दिया किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, एवं सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए का अपराध विवरण पूर्व योग्य पीठासीन अधिकारी (श्रीमती वंदना राज पाण्डेय) द्वारा लगाये जाने पर अभियुक्त ने कंडिका क्र० 1 में वर्णित अपराध से इंकार कर विचारण चाहा, उसका अभिवाक् लेख किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि, वह निर्दोष है। उसे झूठा फसाया गया है, किन्तु बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

#### 4- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त बबन ने दिनांक 25.03.2015 को समय दिन के 08:00 से 8:45 बजे स्थान- ठीकरी-दवाना रोड पेट्रोल पंप के पास वाहन मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0 11 एम0एल0 4073 को उपेक्षा पूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर प्रभाबाई को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

#### विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष -

5. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लक्ष्मणसिंह (अ.सा. 1), राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2), भूरेसिंह (अ.सा.3), डोंगरसिंह मंडलोई (अ.सा.4), अशोक वर्मा (अ.सा.5), राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) डॉ० मोहन गुप्ता (अ.सा.7), के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

6. सर्व प्रथम यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक की मृत्यु दुष्टिना के फलस्वरूप हुयी है। इस संबंध में विचार करने पर साक्षी डॉ० मोहन गुप्ता (अ.सा.7) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 27.03.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मृतक प्रभाबाई पति भूरेसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी पिपल्दागढी को मृत अवस्था में लाया गया था। जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना धरमपुरी को सुबह 7:00 बजे दी गयी थी। सूचना का पत्र प्र० पी० 7 है। उक्त दिनांक को 9:00 सुबह उनके द्वारा शव परीक्षण किया गया। जिस पर उन्होंने निम्न बाह्य चोटें पायी थी, मृतक का शरीर मृत एवं ठंडी अवस्था में था। आंखों की पुतली फैली हुई थी, जबान और नाखून सफेदी लिए हुए थे, सिर के दाहिनी ओर टांके लगा हुआ घाव था। जिसका आकार 10 x 3 का होकर हड्डी की गहराई तक था और सिर के मध्य भाग तक फैला हुआ था। इसी प्रकार छाती के बाये ओर टांके लगा हुआ घाव था, जो कि, 10 x 10 से.मी. का था। आंतरिक परीक्षण में कपाल पर दाहिनी पैराइटल और फ्रन्टल फोसा में रक्त जमा हुआ था और मस्तिष्क के टिश्यू खून से सने हुए थे। छाती के आंतरिक परीक्षण में दाहिने फेफड़े स्वस्थ एवं सफेदी लिए हुए थे, तथा बाये फेफड़े के मध्य भाग से कटा हुआ था और बाये तरफ की 5-6 और 7 पसली में अस्थी भंग पाया गया था। पेट के आंतरिक परीक्षण में समस्त अवयव स्वस्थ एवं सफेदी लिए हुये थे, तथा प्लीहा पर कटा हुआ धाव था।

7. उक्त साक्षी के अभिमत में मृतक प्रभाबाई की मृत्यु का कारण हृदय व श्वास की गति रूकने से हुयी थी, जो कि, सिर में आयी हुयी चोट एवं अधिक रक्त स्राव के होने से हुआ है। मृत्यु व शव परीक्षण के बीच की अवधि 24 घंटे की थी। उपरोक्त समस्त चोटें एंटीमार्टम प्रकृति की थी। इस संबंध में साक्षी के द्वारा दी गयी

शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 8 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) द्वारा यह कथन किया है कि, वह दिनांक 04.04.2015 को पुलिस थाना ठीकरी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को पुलिस थाना धरमपुरी से एक मर्ग क्रमांक 15/15 पर मृतक प्रभाबाई पति भूरेसिंग की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिस पर से पुलिस थाना ठीकरी में मर्ग क्रमांक 20/15 पर दर्ज की थी।

9. साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, मोटरसाईकिल चालक ने प्रभाबाई को सामने से टक्कर मार दी थी, जिससे उसके सिर व नाक में से खून निकला था। प्रभाबाई को जांच के लिये अस्पताल ले गये थे, ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी।

10. साक्षी राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, मोटरसाईकिल का चालक ठीकरी की ओर से तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाता हुआ आया तथा उसने प्रभाबाई को सीधे टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर व नाक से खून निकल रहा था। ईलाज के दौरान प्रभाबाई की मृत्यु हो गयी थी। धरमपुरी पुलिस ने उसे प्रभाबाई की लाश का पंचनामा बनाने के लिए प्र0पी0 1 का सफीना फार्म जारी किया था, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्र0पी0 2 का लाश का पंचनामा बनाया था। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी डोंगरसिंह (अ.सा.4) के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि, ईलाज के दौरान प्रभाबाई की मृत्यु हो गयी थी।

11. साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) व राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2) ने भी मृतक प्रभाबाई की मृत्यु के संबंध में कथन किये हैं। डॉ० मोहन गुप्ता (अ.सा.7) के कथनों का समर्थन साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) व राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2) के कथनों से होता है। साक्षी राजेन्द्रसिंह सौलकी (अ.सा.6) ने भी मृतक की दुर्घटना में मृत्यु होने के पश्चात् पुलिस थाना ठीकरी में मर्ग क्र० 20/15 पर दर्ज की थी। उक्त सभी साक्षियों के मृत्यु के संबंध में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी है। उक्त साक्षीगण के कथन व चिकित्सक अभिमत के अनुसार मृतक प्रभाबाई की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः अभियोजन ने यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि घटना दिनांक स्थान पर मृतक प्रभाबाई की मृत्यु दुर्घटना के फलस्वरूप हुई है।

12. अब यह विचार किया जाना है कि, क्या मृतक प्रभाबाई की मृत्यु अभियुक्त बबन के द्वारा उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस संबंध में विचार करने पर बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान पूर्ण रूप से यह प्रतिरक्षा ली गयी कि, अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से वाहन चलाकर घटना कारित नहीं की है। अभियुक्त की पहचान भी संदिग्ध है। चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा भी अभियुक्त वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अतः अभियुक्त के द्वारा घटना कारित नहीं होना बताया है।

13. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाया जा रहा था। साक्षियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन में यह बताया है कि, अभियुक्त के द्वारा ही दुर्घटना कारित कर प्रभाबाई की मृत्यु कारित की।

14. उपरोक्त तर्क व प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जा रही है। चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.01) ने यह व्यक्त किया है कि, वह घटना दिनांक को मोटरसाईकिल लेकर घटना स्थल पर खड़ा था, तथा एक मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल क्रं० एम.पी.11 एम०एल० 4073 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया एवं प्रभाबाई को सामने से टक्कर मार दी। उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्त को देखा जाना व्यक्त किया है, और यह भी व्यक्त किया है कि, उसके सामने आने पर वह उसे पहचान नहीं सकता है। साक्षी राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2) ने व्यक्त किया है कि, वह अभियुक्त बबन को नहीं पहचानता है, क्योंकि दुर्घटना के पश्चात् अभियुक्त भाग गया था, व एक मोटरसाईकिल का चालक तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर लाया तथा प्रभाबाई को टक्कर मार दी, किन्तु अभियुक्त बबन के द्वारा ही उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया जा रहा था इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

15. साक्षी भूरेसिंह (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि, वह अपनी मोटरसाईकिल लेकर उसे सुधरवाने के लिये मेकेनिक के वहां पर गया था तब उसे मालूम हुआ था कि, एक व्यक्ति ठीकरी की ओर से अपनी मोटरसाईकिल को तेजी से चलाकर लाया था एवं उसकी पत्नि प्रभाबाई को टक्कर मार दी व राजेन्द्र ने घटना कारित करने वाली मोटरसाईकिल का क्रं० एम.पी. 11 एम.एल. 4073 बताया था। इस प्रकार डोंगरसिंह (अ.सा.04) ने भी अभियुक्त को नहीं पहचानने व उसे राजेन्द्र के द्वारा फोन पर सूचना दी गयी थी। डोंगरसिंह (अ.सा.04) स्वयं के द्वारा भी घटना नहीं देखी है, व अभियुक्त को जानता भी नहीं है। साक्षी राजेन्द्रसिंह (अ.सा.02) के द्वारा उसको घटना की जानकारी दी गयी थी। फलतः साक्षी भूरेसिंह (अ.सा.03) व डोंगरसिंह (अ.सा.04) घटना के अनुश्रुत साक्षीगण हैं। इस कारण से उक्त साक्षीगण की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती है।

16. साक्षी राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) ने अपने कथन में बताया है कि, वह दिनांक 04.04.2015 को पुलिस थाना ठीकरी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे, उक्त दिनांक को पुलिस थाना धरमपुरी से एक मार्ग क्रमांक 15/15 पर मृतक प्रभाबाई पति भूरेसिंह की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिस पर से पुलिस थाना ठीकरी में मार्ग क्रमांक 20/15 पर दर्ज की थी। मार्ग जांच में उनके द्वारा लक्ष्मणसिंह के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, बाद थाना ठीकरी के अपराध क्रं० 74/15 धारा 304-ए भा.द.सं. की प्र.सू. प्रतिवेदन वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी० 11 एम०एल० 4073 के विरुद्ध दर्ज की थी। प्र.सूचना प्रतिवेदन प्र०पी० 4 है। विवेचना के दौरान राजेन्द्रसिंह की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 5 का बनाया था, उनके द्वारा साक्षी सत्येन्द्र, डोंगरसिंह, भूरेसिंह, लक्ष्मण के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त बबन के पेश करने पर मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी० 11 एम०एल० 4073 मय असल दस्तावेज, बीमा और लाईसेंस को जप्त कर प्र०पी० 6 का बनाया था, वाहन मालिक सत्येन्द्रसिंह को मोटरसाईकिल के चालक की जानकारी देने हेतु सूचना पत्र दिया था। बाद अनुसंधान पूर्ण कर केस डायरी थाना प्रभारी के सुपुर्द की थी।

17. उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि, साक्षी राजेन्द्रसिंह, भूरेसिंह, लक्ष्मणसिंह, डोंगरसिंह ने उसे वाहन चालक का नाम व पता नहीं बताया था। उसे अनुसंधान के दौरान वाहन मालिक सत्येन्द्र के द्वारा पता लगा था कि, अभियुक्त बबन घटना के समय वाहन चला रहा था, व यह भी बताया था कि, उसके द्वारा प्र.डी. 01 का नोटिस देते समय वाहन चालक की जानकारी नहीं थी।

18. साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.5) ने अपने कथन में बताया है कि, उसका दो पहिया वाहनों को सुधारने का गैरेज है। उसके द्वारा दिनांक 04.05.2015 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रं0 74/15 में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 का यांत्रिकीय परीक्षण किया था। उसने यांत्रिकीय परीक्षण के दौरान उक्त वाहन में कोई भी तकनीकी त्रुटि होना नहीं पायी थी, तथा उसके सभी पुर्जे चालू अवस्था में थे, उसके द्वारा दी गयी यांत्रिकीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 3 है।

19. चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मणसिंह (अ.सा.01) व राजेन्द्रसिंह (अ.सा.02) ने अभियुक्त बबन के द्वारा ही घटना कारित की थी इस संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। यह जरूर व्यक्त किया है कि, मोटरसाईकिल के चालक के द्वारा मोटरसाईकिल को उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक प्रभाबाई को टक्कर मारी गयी थी, किन्तु उक्त वाहन अभियुक्त बबन के द्वारा चलाया जा रहा था इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान कर्ता अधिकारी राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) ने घटना के पश्चात् प्रकरण का अनुसंधान किया है, एव अशोक वर्मा (अ.सा.4) ने वाहन क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 का यांत्रिकीय परीक्षण किया है। चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अभियुक्त बबन के द्वारा ही वाहन चलाया जा रहा था के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अनुसंधानकर्ता राजेन्द्र सौलकी (अ.सा.6) व अशोक वर्मा (अ.सा.4) की साक्ष्य, चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य के अभाव में औपचारिक स्वरूप की रह जाती है।

20. इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षीगण लक्ष्मणसिंह (अ.सा.1) व राजेन्द्रसिंह (अ.सा.2) ने अभियुक्त को पहचाने जाने संबंधी साक्ष्य नहीं दी है व उक्त साक्षीगण द्वारा व अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, अतः उक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि, मृतक प्रभाबाई की मृत्यु अभियुक्त बबन के द्वारा उपेक्षा व लापरवाहीपूर्वक से वाहन चलाये जाने का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत जवाहरलाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 238 एम0पी0 विकली नोट्स 1994—(II)** तथा **न्यायदृष्टांत राम दयाल विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1993 एम0पी0एल0जे0** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है, तब दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है, और उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है तथा अभियुक्त दोषमुक्ती का पात्र हो गया है।

21. उपरोक्त समग्र विवेचना व उभय पक्षों के तर्क से यह प्रमाणित नहीं होता है कि, अभियुक्त बबन ने दिनांक 25.03.2015 को समय दिन के 08:00 से 8:45 बजे स्थान— ठीकरी—दवाना रोड पेट्रोल पंप के पास वाहन मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर प्रभाबाई को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

22. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रं0 4 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतएव अभियुक्त को धारा 304—ए भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

23. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
24. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जावे।
25. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रं0 एम0पी0 11 एम0एल0 4073 पूर्व से पंजीकृत स्वामी सत्येन्द्र पिता विजयसिंह निवासी कोठडा तहसील मनावर जिला धार म.प्र. की सुपुर्दगी पर है उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधी पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही / -

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

सही / -

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.